राजस्थान सरकार

न्यायालय आतेरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तौमर (आर.ए.एस.)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील मुकदमा नम्बर 05/2019 जीसीएमएस नम्बर 2019/00093

उनवान प्रकरण

1. रामभरोसी उर्फ भरोसी पुत्र ईश्वरीप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चौधरी का बाग तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज0)

........................**प्रार्थीगण**

बनाम

1. अर्जुनसिंह पत्र ईश्वरी प्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चौधरी का बाग तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज0)
2. उपखण्डाधिकारी राजाखेडा
3. तहसीलदार राजाखेडा

...........**अप्रार्थीगण**

रैफरेंन्स अन्तर्गत धारा–82 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :

1. अपीलान्ट की ओर से – श्री श्रीकान्त श्रीवास्तव एडवोकेट
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से – श्री विज्जोलाल शर्मा, राजकीय अभिभाषक

निर्णय दिनांक : 30.01.2023

रैफरेंन्स प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा इन तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है कि अपीलार्थी संख्या 1 एक के गलत व असत्य प्रार्थना पत्र आराजी खसरा नम्बर 472, 474, 492, 537, 545, 546, 547, 564, 565, 538, 541, 542, 543, 544 ग्राम डिरावली व खसरा नम्बर 703, 704, 721, 731, 732, 720, 733, 741, 743 ग्राम डिडवार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

तहसील राजाखेडा पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर का दिनांक 09.08.2011 को स्थगन आदेश जारी करना गलत रूप से कथित करते हुये श्रीमान् उपखण्डाधिकारी महोदय, राजाखेडा को जमाबंदी में नोट स्थगन आदेश लगाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया । रहन, वय मुन्तकिल उक्त आराजी को नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का कोई आदेश ना होते हुये अप्रार्थी संख्या -02 द्वारा दिनांक 11.08.2016 को अप्रार्थी संख्या- 03 को उक्त आदेश का नोट जमावन्दी में लगाने का दिया जिसके अनुसरण में दिनांक 16.08.2016 को उक्त खसरा नंबरान पर जो रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट लगवाया गया है वह अवैध व बिना किसी अधिकार के माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे किसी आदेश के वजूद में ना होते हुए लगाया गया है जो गलत व अवैध व बिना किसी क्षेत्राधिकार के है जो निरस्त किये जाने योग्य है एक दावा न्यायालय श्रीमान एसडीओ साहब राजाखेडा में बंटवारा व निषेधाज्ञा का उनवानी हरिविलास बनाम रोशनलाल बगैरा मुकदमा नंबर 45/2004 दायर किया जिसमें प्रार्थी ने भी काउन्टर क्लेम रोशनलाल के साथ पेश किया तथा दावा केवल आराजी खसरा नंबर 472, 474, 484, 492, 537, 545, 546, 547 व 564 वाके ग्राम डिरावली तहसील राजाखेडा ही विवादित थी। अन्य कोई आराजीयात वादग्रस्त नहीं थी। उक्त वाद में प्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया जो दिनांक 17.03.2005 को काउन्टर क्लेम के जरिये डिक्री हुआ। उक्त वाद के विरूद्ध न्यायालय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय भरतपुर कैम्प धौलपुर में दो अपील जिसमें एक अपील प्रार्थी ने उनवानी हरिविलास बनाम रोशनलाल अपील नंबर 16/05 तथा दूसरी अपील प्रतिवादी अर्जुन सिंह ने उनवानी अर्जुन सिंह बनाम हरिविलास वगैरा द्वारा अपील नंबर 52/2005 की उक्त दोनों अपीलों को एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय द्वारा दिनांक 16.12.2006 को स्वीकार किया तथा पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय में लौटा दी। न्यायालय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर के फैसला व डिक्री तारीखी 16.12.2006 के विरूद्ध दो अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रोशनलाल बगैरा बनाम हरिविलास वगैरा नंबरी 9401/08 तथा दूसरी अपील उनवानी रोशनलाल बगैरा बनाम अर्जुन सिंह, अपील नंबर 8358/09 दायर की जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट रहा जिसका फैसला दिनांक 17.01.2011 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से हुआ जिसमें माननीय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर का फैसला 16.12.2006 तथा न्यायालय एस.डी.ओ साहब राजाखेडा का फैसला 17.03.2005 सैटएसाइड कर पत्रावली को न्यायालय श्रीमान एसडीओ साहब राजाखेडा में पुनः तनकीयात कायम करके व साक्ष्य उभयपक्षकारन लेकर पुनः पक्षकारन को सुनकर आदेश पारित करने के आदेश दिये। अर्जुनसिंह अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त आदेश तारीखी 17.01.2011 के फैसला के विरूद्ध याचिका एस.बी.सिविल रिट याचिका पिटीशन नबंर 9601/2011 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश की जिसमें दिनांक 09.08.2011 को अंतरिम आदेश द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के फैसला का

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

अमल स्थगित किया तथा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने दिनांक 10.09.2012 को अपने आदेश तारीखी 09.08.2011 के अंतरिम आदेश की रिट याचिका के फैसला तक स्थगित कर दिया। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने कोई आदेश आराजीयात जिसका विवरण प्रार्थनापत्र रिफरेन्स की मद नंबर 01 एक में दिया गया है। स्थगन आदेश रिकार्ड व मौके की यथास्थिति तथा आराजीयात को रहन, वय, मुन्तकिल करने का जारी नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 01., 02, व 03 ने साजिश करके बिना किसी स्थगन आदेश मौका रिकार्ड की यथास्थिति के तथा रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने का नोट माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार आराजीयात पर लगने का पारित कर जमाबन्दी में आराजीयात जिसका विवरण प्रार्थना पत्र की मद नंबर 01 एक में दर्ज है वह पूर्ण रूप से अवैध, बिना क्षेत्राधिकार के लगाया है तथा बिना किसी न्यायालय के आदेश के लगाया है। वह निरस्तनीय है। उक्त गलत व अवैध कार्यवाही अप्रार्थीगण ने की है। जिससे व्यथित होकर प्रार्थी उक्त रिफरेन्स की कार्यवाही कर रहा है वह पीडित पक्ष है जिसे रिफरेन्स करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी द्वारा रिफरेन्स प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय एस.डी.ओ. राजाखेडा ने दिनांक 11.08.2016 को जो आदेश पारित करके तहसीलदार राजाखेडा ने उसकी अनुपालना में दिनांक 12.08.2016 को आदेश पारित करके राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में दिनांक 16.08.2016 को रहन वय मुन्तकिल नहीं करने मौका व रिकार्ड की यथास्थिति है। को नोट लगाया है उसे हटवाये जाने के लिए प्रकरण को माननीय राजस्व मंडल अजमेर में रैंफरेन्स करने का निवेदन किया है ।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नकल आदेश दिनांक 11.08.2016 न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा स्थगन आदेश हाईकोर्ट के बावत् , फोटो प्रति नोटिस तहसीलदार राजाखेडा दिनांक 02.08.2016 रामभरोसी को दिया, फोटो प्रति जबाब रामभरोसी दिनांक 09.08.2016 , फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम डिडावली तह0 राजाखेडा सम्मवत् 2069 से 2072 खसरा नम्बर 47 , 145 , फोटो प्रति जमाबंदी ग्राम डिडवार तह0 राजाखेडा सम्मवत् 2069 से 2072 , प्रमाणित प्रतिलिपि रिपोर्ट हल्का पटवारी सिघावली कला तह0 राजाखेडा तारीख 19.08.2016 , फोटो कापी आदेश तारीखी 17. 03.2005 न्यायालय उपखण्डाधिकारी राजाखेडा मु0नं0 45/04 हरिविलास बनाम रोशनलाल बगैराह , फोटो कापी आदेश तारीखी 16.12.06 अपील नं0 16/05 हरिविलिास बनाम रोशनलाल व अपील नम्बर 52/05 अर्जुनसिंह बनाम हरिविलास न्यायालय एस.ओ. एवं आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर, फोटोकापी आदेश तारीखी 17. 01.2011 न्यायालय रेवेन्यूबोर्ड राज. अजमेर अपील संख्या 9401/08 रोशनलाल बनाम हरविलास व अपील नम्बर 8358/09 रोशनलाल बनाम अर्जुनसिंह, फोटोप्रति स्थगन

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

मुकदमा रामभरोसी उर्फ भरोसी बनाम अर्जुनसिंह वगैरा रेफरेन्स संख्या 06/2019

(4)

माननीय उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर राज0 जनवासी एस.बी.सिविल रिट संख्या 9601/2011 पेश की ।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी संख्या-1 की ओर से श्री निज्जोलाल शर्मा एडवोकेट व अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये । अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रार्थना पत्र का प्रस्तुत जबाब में अंकित किया कि माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 09.08.2011 की अनुपालना में विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में स्थगन आदेश का नोट अंकित कराया गया था शेष तथ्य गलत है स्वीकार नहीं है प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था उसी की पालना में नोट अंकित किया गया था प्रार्थी का कथन पूरी तरह असत्य एवं निराधार है कि बिना आदेश के नोट अंकित किया गया ऐसा करना सम्भव ही नहीं है । उक्त डिक्री के विरूद्ध अप्रार्थी ने अपील पेश की जिसमें हुये निर्णय की जानकारी प्रार्थी को भली भांति है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 09.08.2021 के अतिरिक्त श्रीमान् अपर जिला सेशन न्यायाधीश के आदेश दिनांक 14.09.2005 के द्वारा भी पक्षकार को विवादित आराजी को अन्य व्यक्ति के हक में रहन , बय एवं मुन्तकिल नहीं करने हेतु तथा राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति को यथावत रखने हेतु पावंद किया गया था जिसका नोट जमावंदी सम्वत् 2064–2064 में अंकित है इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील रोशनलाल बनाम हरिविलास एवं रोशनलाल बनाम अर्जुनसिंह में भी रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिया गया था जिसका नोट विवादित आराजी की जमावंदी सम्वत् 2065–2068 में अंकित है । प्रार्थी रेफरेन्स करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । विशेष कथन में अंकित किया कि प्रार्थी की पुत्र वधू मंजू के हक में रोशनलाल द्वारा किया गया बयनामा दिनांक 29.09.2004 न्यायालय श्रीमान् ए0डी0जे0 धौलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है उस अवैध बयनामा के आधार पर प्रार्थी रामभरोसी ने राजस्व अभिलेख में अपनी पुत्रबधू मन्जू देवी के नाम नामान्तकरण अवैध रूप से दर्ज कराकर रोशनलाल के स्थान पर मन्जू देवी का नाम दर्ज करा दिया है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में मन्जू देवी मृतक रोशनलाल के स्थान पर खातेदार दर्ज हो चुकी है तथा मन्जू देवी के नाम अवैध रूप से दर्ज किये गये नाम के आधार पर विवादित आराजी का बयनामा करना चाहता है तथा नाजायज रूप से धन प्राप्त करना चाहता है । प्रार्थी रामभरोसी ने स्वंय ए.डी.जे. धौलपुर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील कर रखी है जो एस बी सिविल प्रथम अपील संख्या 3291/2007 पर रामभरोसी बनाम अर्जुन सिंह के उनवान से दर्ज होकर अभी विचाराधीन है । प्रार्थी के गलत व अवैध कृत्य को रोकने के लिये अप्रार्थी ने समय समय पर भिन्न भिन्न अदालतों से रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये आदेश

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ धौलपुर (राज0) ★

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

कराये है जिनका उल्लेख राजस्व अभिलेख में अंकित है। यदि राजस्व अभिलेख में अंकित नोट को हटा दिया गया तो रामभरोसी अपनी पुत्रवधू मन्जू देवी से रोशनलाल के हिस्सा के आराजी का अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति के हक में वयनामा कराकर अवैध धन राशि प्राप्त करेगा जिससे वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन अपील के अलावा अन्य मुकदमे वाजी बढ जायेगी। उन्होंने रैंफरेंन्स प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

अप्रार्थी की ओर से फोटो प्रति निर्णय एडीजे धौलपुर दिनांक 02.05.2007, नकल नामांतरण संख्या 702 ग्राम ड्रिरावली, नकल जमाबंदी खाता संख्या 58 संबत 2061 ग्राम डिरावली, नकल जमाबंदी खाता संख्या 57 ग्राम डिरावली संवत 2065, नकल जमाबंदी संवत 2061—64 खाता संख्या 147 ग्राम डिरावली, नकल आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर दिनांक 10.09.2012, नकल आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर दिनांक 09.08.2011, नकल आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर दिनांक 09.07.2007 अपील उनवानी रामभरोसी मन्जू देवी बनाम अर्जुन सिंह पेश किये गये ।

उभयपक्षों के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 के गलत व असत्य प्रार्थना पत्र ग्राम डिरावली व खसरा ग्राम डिडवार तहसील राजाखेडा पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर का दिनांक 09.08.2011 को स्थगन आदेश जारी करना गलत रूप से कथित करते हुये श्रीमान् उपखण्डाधिकारी महोदय, राजाखेडा को जमाबंदी में नोट स्थगन आदेश लगाने बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जबकि रहन, वय मुन्तकिल उक्त आराजी को नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश माननीय उच्च न्यायालय जयपुर का कोई आदेश ना होते हुये अप्रार्थी संख्या —02 द्वारा दिनांक 11.08.2016 को अप्रार्थी संख्या-- 03 को उक्त आदेश का नोट जमाबन्दी में लगाने का दिया जिसके अनुसरण में दिनांक 16.08.2016 को उक्त खसरा नंबरान पर जो रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट लगवाया गया है वह अवैध व बिना किसी अधिकार के तथा माननीय उच्च न्यायालय के ऐसे किसी आदेश के वजूद में ना होते हुए लगाया गया है जो गलत व अवैध व बिना किसी क्षेत्राधिकार के है जो निरस्त किये जाने योग्य है । न्यायालय श्रीमान एसडीओ साहब राजाखेडा में बंटवारा व निषेधाज्ञा का दावा उनवानी हरिविलास बनाम रोशनलाल बगैरा मुकदमा नंबर 45/2004 में प्रार्थी ने भी काउन्टर क्लेम रोशनलाल के साथ पेश किया जिसमें केवल आराजी खसरा नंबर 472, 474, 484, 492, 537, 545, 546, 547 व 564 वाके ग्राम डिरावली तहसील राजाखेडा ही विवादित थी, अन्य कोई आराजीयात वादग्रस्त नहीं थी। उक्त वाद में प्रार्थी का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया जो दिनांक 17.03.2005

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

को काउन्टर क्लेम के जरिये डिकी हुआ। उक्त निर्णय के विरूद्ध न्यायालय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय भरतपुर कैम्प धौलपुर में दो अपील जिसमें एक अपीले प्रार्थी ने उनवानी हरिविलास बनाम रोशनलाल अपील नंबर 16/05 तथा दूसरी अपील प्रतिवादी अर्जुन सिंह ने उनवानी अर्जुन सिंह बनाम हरिविलास बगैरा द्वारा अपील नंबर 52/2005 पेश की उक्त दोनों अपीलों को एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. महोदय द्वारा दिनांक 16.12.2006 को स्वीकार किया । न्यायालय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर के फैसला व डिकी तारीखी 16.12.2006 के विरूद्ध दो अपील माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रोशनलाल बगैरा बनाम हरिविलास बगैरा नंबरी 9401/08 तथा दूसरी अपील उनवानी रोशनलाल बगैरा बनाम अर्जुन सिंह, अपील नंबर 8358/09 दायर की जिसमें प्रार्थी अपीलान्ट रहा जिसका फैसला दिनांक 17.01.2011 को माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर से हुआ जिसमें माननीय एस.ओ. एण्ड आर.ए.ए. भरतपुर कैम्प धौलपुर का फैसला 16.12.2006 तथा न्यायालय एस.डी.ओ साहब राजाखेडा का फैसला 17.03.2005 सैटएसाइड कर न्यायालय श्रीमान एसडीओ साहब राजाखेडा में पुनः तनकीयात कायम करके व साक्ष्य उभयपक्षकारन लेकर पुनः पक्षकारन को सुनकर आदेश पारित करने के आदेश दिये। अर्जुनसिंह अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा उक्त आदेश तारीखी 17.01.2011 के विरूद्ध एस.बी.सिविल रिट याचिका पिटीशन नबंर 9601/2011 माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर में पेश की जिसमें दिनांक 09.08.2011 को अंतरिम आदेश द्वारा माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के फैसला का अमल स्थगित किया तथा उक्त आदेश को माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने दिनांक 10.09.2012 को अपने आदेश तारीखी 09.08.2011 के अंतरिम आदेश की रिट याचिका के फैसला तक स्थगित कर दिया। इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ जयपुर ने कोई स्थगन आदेश रिकार्ड व मौके की यथास्थिति तथा आराजीयात को रहन, वय, मुन्तकिल करने का जारी नहीं किया। अप्रार्थी संख्या 01., 02, व 03 ने साजिश करके बिना किसी स्थगन आदेश मौका रिकार्ड की यथास्थिति के तथा रहन, वय, मुन्तकिल नहीं करने का जमाबंदी में अंकित नोट पूर्ण रूप से अवैध, बिना क्षेत्राधिकार के लगाया है तथा बिना किसी न्यायालय के आदेश के लगाया है। उन्होंने रैंफरेंस प्रार्थना-पत्र प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल के रैंफरेंन्स करने का निवेदन किया है ।

अप्रार्थी संख्या 1 के अभिभाषक का तर्क था कि प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान जयपुर का आदेश अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया था उसी की पालना में नोट अंकित किया गया था प्रार्थी का कथन पूरी तरह असत्य एवं निराधार है कि बिना आदेश के नोट अंकित किया गया ऐसा करना सम्भव ही नहीं है । माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के स्थगन आदेश दिनांक 09.08.2021 के अतिरिक्त श्रीमान् अपर जिला सैशन न्यायाधीश के आदेश दिनांक 14.09.2005 के द्वारा भी पक्षकार को विवादित आराजी को अन्य व्यक्ति के हक में रहन , वय एवं मुन्तकिल

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर ★ धौलपुर (राज.) ★

अति० जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

नहीं करने हेतु तथा राजस्व अभिलेख एवं मौके की स्थिति को यथावत रखने हेतु पावंद किया गया था जिसका नोट जमावंदी सम्वत् 2064–2064 में अंकित है इसके अतिरिक्त राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपील रोशनलाल बनाम हरिविलास एवं रोशनलाल बनाम अर्जुनसिंह में भी रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति रखने के आदेश दिया गया था जिसका नोट विवादित आराजी की जमावंदी सम्वत् 2065–2068 में अंकित है । प्रार्थी को रेफरेन्स करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । प्रार्थी की पुत्र बधू के हक में रोशनलाल द्वारा किया गया बयनामा दिनांक 29.09.2004 न्यायालय श्रीमान् ए0डी0जे0 धौलपुर द्वारा निरस्त कर दिया गया है उस अवैध बयनामा के आधार पर प्रार्थी रामभरोसी ने राजस्व अभिलेख में अपनी पुत्रबधू मन्जू देवी के नाम नामान्तकरण अवैध रूप से दर्ज कराकर रोशनलाल के स्थान पर मन्जू देवी का नाम दर्ज करा दिया है तथा वर्तमान राजस्व अभिलेख में मन्जू देवी मृतक रोशनलाल के स्थान पर खातेदार दर्ज हो चुकी है तथा मन्जू देवी के नाम अवैध रूप से दर्ज किये गये नाम के आधार पर विवादित आराजी का बयनामा करना चाहता है । प्रार्थी रामभरोसी ने स्वंय ए.डी.जे. धौलपुर के निर्णय के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में अपील कर रखी है जो एस बी सिविल प्रथम अपील संख्या 3291/2007 पर रामभरोसी बनाम अर्जुन सिंह के उनवान से दर्ज होकर अभी विचाराधीन है । प्रार्थी के गलत व अवैध कृत्य को रोकने के लिये अप्रार्थी ने समय समय पर भिन्न भिन्न अदालतों से रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति के लिये आदेश कराये है जिनका उल्लेख राजस्व अभिलेख में अंकित है। यदि राजस्व अभिलेख में अंकित नोट को हटा दिया गया तो रामभरोसी अपनी पुत्रवधू मन्जू देवी से रोशनलाल के हिस्सा के आराजी का अवैध रूप से किसी अन्य व्यक्ति के हक में वयनामा कराकर अवैध धन राशि प्राप्त करेगा जिससे वर्तमान में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन अपील के अलावा अन्य मुकदमे वाजी बढ जायेगी। अतः प्रार्थना है कि रैफरेंस प्रार्थना–पत्र खारिज करने का निवेदन किया है ।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर माननीय न्यायालय ए.डी.जे. धौलपुर द्वारा अंतिम डिक्री जारी नहीं करने पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन है । उपखण्डाधिकारी, राजस्व अपील अधिकारी , राजस्व मण्डल के आदेश पर माननीय उच्च न्यायालय का स्थगन आदेश का जमावंदी पर नोट है । जमाबंदी में किसी भी प्रकार का नोट अंकित हो तब भी माननीय राजस्व न्यायालय राजस्व मण्डल या माननीय सिविल न्यायालय ए.डी.जे. दोनों के ही निर्णय अभी अंतिम नहीं है , तथापि माननीय उच्च न्यायालय में भी प्रकरण विचाराधीन है । अतः अंतिम गुणावगुण पर पहुँचने से पूर्व ही प्री मैच्योर रेंफरेंस प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है । चूंकि प्रस्तुत रेफरेंन्स नोन मेन्टेनेवल होने के कारण वर्तमान में काबिले खारिज है ।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

वमुकः रामभरोसी उर्फ भरोसी बनाम अर्जुनसिंह बगैरा रेंफरेंन्स संख्या 05/2019

अतः रेंफरेन्स खारिज किया जाता है । माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के निर्णयों पर अपीलांट सक्षम न्यायालय में रेंफरेन्स प्रस्तुत करने/ अन्य अनुतोष हेतु स्वतंत्र रहेगें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)